

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 647 / 14
 संस्थापन दिनांक:-22 / 09 / 14
 फाईलिंग नं. 233504004632014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. सुपियार पिता आशाराम, उम्र 25 वर्ष
2. निर्मलाबाई पति आशाराम, उम्र 46 वर्ष
 दोनों निवासी रानीडोंगरी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.05.2014 से दिनांक 31.07.2014 तक थाना आमला से 15 किमी. पूर्व में ग्राम रानीडोंगरी स्थित अपने मकान में फरियादी जयश्री उर्फ सुमित्रा के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की तथा फरियादी से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी जयश्री उर्फ सुमित्रा का विवाह सुपियार से दिनांक 14.05.2014 को जाति रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही पति सुपियार एवं सास निर्मला उसे शादी में दहेज कम आने की बात को लेकर आये दिन झगड़ा लड़ाई कर प्रताड़ित करते थे। उसके पिता ने अपनी हैसियत अनुसार सभी सामान दिया था। अभियुक्तगण उससे मोटर सायकिल लाने के लिए पचास हजार रुपये की मांग करते थे। उसके पिता द्वारा पचास हजार रुपये देने से मना करने पर अभियुक्तगण उसे झगड़ा विवाद कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसने परिवार परामर्श केंद्र में सुलह करने का प्रयास किया गया परंतु अभियुक्तगण नहीं माने। परिवार के लोगों द्वारा भी समझाने पर अभियुक्तगण नहीं माने तथा घर वापस आने पर अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके पति एवं सास द्वारा शादी के बाद कई बार उसके साथ मारपीट भी की गयी।

3 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 584/14 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची प्रकरण में संलग्न की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 498-ए भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.05.2014 से दिनांक 31.07.2014 तक थाना आमला से 15 किमी. पूर्व में ग्राम रानीडोंगरी स्थित अपने मकान में फरियादी जयश्री उर्फ सुमित्रा के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की तथा फरियादी से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

7 जयश्री उर्फ सुमित्रा (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त सुपियार उसका पति एवं निर्मला उसकी सास है। उसकी शादी वर्ष 2014 में अभियुक्त सुपियार के साथ जाति रीति रिवाज से हुई थी। उसका अपने पति एवं सास से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर गुस्से में आकर उसने अपने पति एवं सास के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट लिखवा दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके पति एवं सास ने दहेज को लेकर उसके साथ कोई मांग या प्रताड़ना नहीं की और न ही कोई जान से मारने की धमकी दी थी।

8 साक्षी जयश्री उर्फ सुमित्रा (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न

करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके पति सुपियार और उसकी सास निर्मला शादी में दहेज कम आने की बात को लेकर आये दिन लड़ाई कर प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में मोटर सायकिल एवं पचास हजार रुपये की मांग करते थे। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण दहेज की बात को लेकर हमेशा उसे प्रताड़ित करते थे। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने करवायी थी। साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा दहेज में 50,000/- की मांग किये जाने एवं उक्त मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गयी हो तथा फरियादी से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण सुपियार एवं निर्मलाबाई को धारा 498-ए भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)